

दिल्ली विकास प्राधिकरण
कुतुब गोलफ़ कोर्स
प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली – 110017

फ़ाइल नंबर F3 (07)/QGC/DDA/Civil/2026-27/186

तारीख: 21 जुलाई 2026

ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रण सूचना नंबर 01/QGC/DDA/NIQ/2026-27

कुतुब गोलफ़ कोर्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (खेल विंग) के चेयरमैन की ओर से ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन दो भागों में अपलोड किए जाएंगे: 'भाग-I' जिसमें टेक्निकल बिड होगी और 'भाग-II' जिसमें 'फ़ाइनेंशियल बिड' होगी। तय तरीके से अपलोड नहीं की गई बिड पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा। टेंडर भरने वाले का GST विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और टेंडर के साथ रजिस्ट्रेशन की कॉपी देनी होगी। अर्नेस्ट मनी (बयाना राशि) RTGS/NEFT के ज़रिए "CAU SPORTS DDA (EMD ACCOUNT)" के खाते में जमा की जाएगी, जिसका अकाउंट नंबर 1614159849 है और बैंक "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली (IFSC: KKBK0000184)" है।

कार्य का विवरण :- कुतुब गोलफ़ कोर्स का रखरखाव।

उप-कार्य:- कुतुब गोलफ़ कोर्स में कियोस्क नंबर 16 और टी (Tee) नंबर 11 के पास कैडी टॉयलेट की विविध मरम्मत।

अनुमानित लागत: 1,06,141/- रुपये

अर्नेस्ट मनी: 5,000/- रुपये

मात्रा की अनुसूची

क्रम संख्या	आइटम का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1.	G.S. शीट पर मंज़ूरशुदा ब्रांड और निर्माता के सिंथेटिक इनेमल पेंट से एक जैसा शेड देने के लिए ज़रूरी रंग में पेंटिंग करना: (a) नया काम (दो या उससे ज्यादा कोट), जिसमें मंज़ूरशुदा स्टील प्राइमर का एक कोट शामिल है, लेकिन मॉर्डेंट सॉल्यूशन का कोट शामिल नहीं है।	130.00	Sqm	₹ 23,510.50
2.	छत पर लगी ईट-टाइल की परत को हटाना, जिसमें काम आने लायक सामग्री को एक जगह जमा करना और बेकार सामग्री को 50 मीटर की दूरी के भीतर ठिकाने लगाना शामिल है।	17.00	Sqm	₹ 1,790.95
3.	सभी प्रकार के फ्लशिंग सिस्टर्न (C.I./PVC/विट्रियस चाइना) को हटाना, जिसमें काम के लायक सामान को साइट के पास जमा करना और बेकार सामान को 50 मीटर की दूरी के भीतर ठिकाने लगाना शामिल है।	2.00	Each	₹ 224.10
4.	1:2:4 (1 सीमेंट : 2 प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त मोटी रेत : 4 प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त 40 mm नाममात्र आकार के	2.00	Cum	₹ 15,560.60

	ग्रेडेड पत्थर के एग्रीगेट)।			
5.	300x300 mm साइज़ (मोटाई निर्माता द्वारा बताई जाएगी) की पहली क्वालिटी वाली सिरेमिक ग्लेज़्ड फ़्लोर टाइलें लगाना; ये टाइलें IS:15622 स्टैंडर्ड के अनुसार और मंज़ूरशुदा ब्रांड की होनी चाहिए और सफ़ेद, आइवरी, ग्रे, प्र्यूम रेड ब्राउन जैसे रंगों में उपलब्ध हों। इन्हें 20 mm मोटे सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट : 4 मोटा रेत) पर लगाया जाएगा। जोड़ों को ग्रे सीमेंट स्लरी (3.3 kg/sqm) से भरा जाएगा और सफ़ेद सीमेंट व मैचिंग पिगमेंट आदि से पॉइंटिंग का काम भी शामिल होगा।	17.00	Sqm	₹ 18,641.35
6.	100 मिमी रेत कास्ट आयरन पी या एस ट्रेप, 10 लीटर निम्न स्तर सफ़ेद पी.वी.सी. के साथ वाटर क्लॉज़ेट स्क़ाटिंग पैन (भारतीय प्रकार डब्ल्यू.सी. पैन) प्रदान करना और ठीक करना। फ्लश पाइप सहित फ्लशिंग सिस्टर्न, आईएस: 7231 के अनुरूप मैनुअल रूप से नियंत्रित डिवाइस (हैंडल लीवर) के साथ, सभी फिटिंग और फिक्स्चर पूर्ण होने के साथ, जहां भी आवश्यक हो, दीवारों और फर्श को काटने और अच्छा बनाने सहित। (ए) व्हाइट विट्रस चाइना उड़ीसा पैटर्न डब्ल्यू.सी. इंटिग्रल टाइप फुट रेस्ट के साथ 580x440 मिमी आकार का पैन।	2.00	Each	₹ 13,534.80
7.	C.I. ब्रैकेट, 15 mm C.P. ब्रास पिलर टैप और स्टैंडर्ड पैटर्न वाले 32 mm C.P. ब्रास वेस्ट के साथ वॉश बेसिन लगाना; इसमें फिटिंग और ब्रैकेट की पेंटिंग, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दीवार की कटिंग और मरम्मत का काम भी शामिल है। (a) सफ़ेद विट्रियस चाइना वॉश बेसिन (साइज़ 630x450 mm), साथ में 15 mm C.P. ब्रास पिलर टैप की एक जोड़ी।	2.00	Each	₹ 5,297.70
8.	इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देशानुसार, स्वीकृत गुणवत्ता और मेक का 32 mm साइज़ का CP ब्रास बॉटल ट्रेप लगाना और फिक्स करना।	2.00	Each	₹ 2,069.60
9.	मिट्टी, वेस्ट और वेंट पाइप लगाना और ठीक करना: (i) 100 mm व्यास (ii) IS: 1729 के अनुसार सैंड कास्ट आयरन S&S पाइप	20.00	Meter	₹ 23,038.00

10.	अनुमोदित गुणवत्ता और रंग का पीटीएमटी पिलर कॉक उपलब्ध कराना और लगाना। (i) 15 मिमी नाममात्र बोर, 125 मिमी लंबा फोम प्रवाह, वजन 120 ग्राम से कम नहीं।	10.00	Each	₹ 2,241.00
DSR आइटम का कुल योग				₹ 1,05,908.60
GST के कारण DSR 2023 पर 0.973 का करेक्शन फ़ैक्टर इस्तेमाल करते हुए				₹ 1,03,049.07
DSR आइटम पर 3% की दर से C.I. जोड़ें				₹ 3,091.47
कुल योग				₹ 1,06,140.54
लगभग Rs.				₹ 1,06,141.00

कोटेशन से जुड़े दस्तावेज़ ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in वेबसाइट से 29.07.2026 (दोपहर 03:00 बजे) (बिक्री की आखिरी तारीख) तक प्राप्त या डाउनलोड किए जा सकते हैं और टेक्निकल बिड 30.07.2026 (दोपहर 3:30 बजे) को खोली जाएगी। RTGS/NEFT के यूनिक ट्रांज़ैक्शन रेफरेंस को तय तारीख तक ई-टेंडरिंग सिस्टम में कोटेशन देने वाले को अपलोड करना होगा।

टेक्निकल बिड (पहला कवर)

कोटेशन देने वालों को टेक्निकल बिड में ये दस्तावेज़ देने होंगे:-

- RTGS/NEFT (EMD) के रेफरेंस की स्कैन की हुई कॉपी या माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ (MSMEs) के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन (NSIC) के वैलिड रजिस्ट्रेशन की कॉपी।
- PAN नंबर की स्कैन की हुई कॉपी।
- GST सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई कॉपी।
- ₹100/- के लेटेस्ट नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस बात का अंडरटेकिंग (घोषणा-पत्र) कि एजेंसी को किसी भी सरकारी/PSU या प्राइवेट संस्था/एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/टेंडर भरने वाले द्वारा ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

फाइनेंशियल बिड (दूसरा लिफ़ाफ़ा)

- BoQ.....xls फ़ॉर्मेट में मात्रा की सूची (Schedule of Quantity)।

नोट (1):- बोली लगाने वाला एक काम के लिए केवल एक UTR का इस्तेमाल करेगा। अगर यह पाया जाता है कि उसने अलग-अलग टेंडर के लिए एक ही UTR नंबर का इस्तेमाल किया है, तो उसके द्वारा जमा किए गए सभी टेंडर रद्द कर दिए जाएंगे और उसे भविष्य में DDA में टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।

नोट (2):- टेंडर भरने से पहले, इच्छुक टेंडरकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़रूरी फ़ीस CRB के पास जमा कर दी गई है।

नोट (3):- टेंडर खुलने तक टेंडरकर्ताओं को किसी भी दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। संबंधित दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी केवल सबसे कम बोली लगाने वाले (lowest tenderer) से मांगी जाएगी।

नोट (4):- शर्तों, विशेष काम के लिए पात्रता मानदंड, RTGS मोड के ज़रिए अर्नेस्ट मनी (बयाना राशि) जमा करने के तरीके और अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए, कृपया DDA की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in पर जाएं। ई-टेंडरिंग से जुड़ी किसी भी मदद के लिए कृपया संबंधित EE या M/s N.I.C. से ईमेल cppp-nic@nic.in या फ़ोन नंबर 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787 पर संपर्क करें या support-eproc@nic.in पर ईमेल भेजें।

नियम और शर्तें:-

1. काम तय स्पेसिफिकेशन (विवरण) के अनुसार किया जाएगा।
2. कोट की गई दर में संबंधित राज्यों में देय GST सहित सभी टैक्स/लेवी शामिल होने चाहिए; DDA इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान DDA के RE/सेक्रेटरी/QGC की पूरी संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई T & P (टूल्स और प्लांट) जारी नहीं किया जाएगा।
5. काम ऑर्डर जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
6. एजेंसी को कोई एडवांस पेमेंट नहीं किया जाएगा।
7. कमिश्नर (स्पोर्ट्स) के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. यदि काम तय समय में पूरा नहीं होता है या काम घटिया स्तर का पाया जाता है, तो कमिश्नर (स्पोर्ट्स) के पास संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित (debar) करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. शर्तों वाली कोटेशन स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. लागू होने वाली ज़रूरी कानूनी कटौतियां की जाएंगी।
11. साइट पर किसी नाबालिग को काम पर नहीं लगाया जाएगा।
12. विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिनों तक है।
14. प्रतिबंधित एजेंसी/या व्यक्ति को टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई खराब छवि नहीं होनी चाहिए।
15. किसी भी प्रतिबंधित व्यक्ति को किसी भी बातचीत में भाग लेने या एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसी की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। प्रतिबंधित व्यक्तियों को काम पर रखने वाली एजेंसी को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।
16. एजेंसी के साथ जुड़े व्यक्तियों के बजाय एजेंसी के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए; इसमें प्रोपराइटरशिप शामिल नहीं है।

17. यदि वर्क ऑर्डर में बताए गए तय समय के भीतर पूरा काम नहीं किया जाता है, तो सेक्रेटरी/QGC के पास यह तय करने का पूरा अधिकार होगा कि वे काम को उन शर्तों पर स्वीकार करें जिन्हें वे सही समझते हैं, या सप्लाई/वर्क ऑर्डर रद्द कर दें, या काम के बदले कोई भुगतान रोक दें, या अर्नेस्ट मनी ज़ब्त कर लें, या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित कर दें। इस संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकेगा।
18. काम पूरा होने के दौरान ठेकेदार पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। अगर साइट या आस-पास कोई नुकसान, चोरी या टूट-फूट होती है, तो उसकी भरपाई कोट की गई दरों में से की जाएगी या एजेंसी से वसूली जाएगी/एजेंसी अपने जोखिम और खर्च पर उसकी भरपाई करेगी।
19. अगर कोई एजेंसी पहली बार गलत या अधूरा टेंडर जमा करती है, तो जमा की गई अर्नेस्ट मनी का 20% ज़ब्त कर लिया जाएगा। हालाँकि, अगर एजेंसी बाद के टेंडर में फिर से गलती करती है या अधूरा टेंडर जमा करती है और सक्षम अधिकारी को लगता है कि यह गलती जानबूझकर, लापरवाही से या गलत इरादे से की गई है, तो बिना कोई कारण बताए अर्नेस्ट मनी पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाएगी और टेंडर भरने वाले को भविष्य की टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
20. अगर बोली लगाने वालों की दरें एक जैसी हैं, तो फैसला लेने के लिए कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी, RE और DDO की एक कमेटी लॉटरी (ड्रॉ ऑफ़ लॉट्स) कराएगी।
21. एजेंसी के साथ जुड़े व्यक्तियों के बजाय एजेंसी के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए; इसमें प्रोप्राइटरशिप शामिल नहीं है।
22. DDA के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों से मिलने वाले रियल-टाइम फ़ीडबैक के आधार पर, जब भी सेवा में कोई कमी दिखेगी, तो उसे ठीक करने के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। अगर सूचना मिलने के बाद तय समय में कोई सुधार/ठीक करने का काम नहीं होता है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा मंज़ूर की गई दर के हिसाब से एजेंसी/ठेकेदार की पेमेंट से कटौती की जाएगी।
23. मौजूदा किसी भी अन्य तरीके, पहले हुए किसी समझौते या लिखित बातचीत, टेंडर की किसी शर्त, इस समझौते या इसमें बताए गए किसी दस्तावेज़ की किसी अन्य धारा या नियम, GCC या CPWD मैनुअल के किसी प्रावधान, या किसी सर्कुलर, गाइडलाइन, निर्देश या किसी नियम या रेगुलेशन के बावजूद, यह सहमति है कि इस समझौते के पक्षों के बीच किसी भी विवाद का समाधान दिल्ली की अदालतों के फैसले से किया जाएगा और विवाद का समाधान आर्बिट्रेशन या विवाद सुलझाने के किसी अन्य वैकल्पिक तरीके से नहीं किया जाएगा।

-sd-

रेज़िडेंट इंजीनियर /QGC